श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2025 को आयोजित प्रमादी मिलर के विरूद्ध दायर नीलाम पत्र वाद के समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

---

बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

उपस्थिति पंजी अनुसार

1. जिला वार लंबित मामलों की स्थिति निम्नवत् है:-

Sl. No	District	Total Certificate Cases Regeisterd Till date	Total Certificate Cases Disposed Till date	Certificate Cases Pending As on 21.03.2025	Money Involved In Pending Cases (In Cr)	Money Recovered from Starting till 31.12.2024 (In Cr)	Money Recovered from 01.01.2025 to 31.01.2025 (In Cr)	Money Recovered from 01.02.2025 to 28.02.2025 (In Cr)	Money Recovered from 01.03.2025 to 20.03.2025 (In Cr)	Certificate Cases Disposed In Last Three Months
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Purnea	24	5	19	30.22	4.81	0	0	0	0
2	Kishanganj	21	9	12	14.10	3.49	-	2.11	1.07	7
3	Katihar	5	0	5	17.34	9.73	0.05	0.05	0.05	0
4	Araria	11	2	9	24.67	9.06	0	0	0	0

समीक्षा में यह पाया गया कि चारो जिलों में राशि वसूली की प्रगति काफी धीमी है। विगत तीन माह में मात्र किशनगंज जिले द्वारा 7 नीलाम पत्र वाद का निष्पादन हुआ है। शेष जिलों द्वारा विगत तीन माह में नीलाम पत्र वाद का निष्पादन नहीं हुआ है। पूर्णिया एवं अररिया जिले द्वारा विगत तीन माह में राशि की वसूली भी नहीं की गई है, जो अत्यंत खेदजनक है।

कभी कभी प्रतिवेदन के ऑकड़ों में भी भिन्नता प्रदर्शित रहती है। राजस्व पर्षद को प्रतिवेदन भेजने के लिए जिला से समय पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है। निर्गत BW/DW के निष्पादन की स्थिति भी शत-प्रतिशत नहीं है।

2. अतः निम्नांकित निदेश दिया जाता है:-

(क) जिला वार ऑकड़ों की अंतिम समीक्षा करते हुए Final प्रतिवेदन भेजा जाय।

(ख) संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह मामलों की सुनवाई करेंगे। सभी आवश्यक Procedure अपनाते हुए BW/ DW निर्गत करेंगे। पुलिस अधीक्षक BW/ DW के समयबद्ध Execution की व्यवस्था करेंगे। अन्य जिलों के प्रमादी मिलरों के विरूद्ध निर्गत BW/DW का तामिला भी संगत नियमानुसार वारंट तामिला हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिना किसी विलंब के पुलिस अधीक्षक कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) प्रमादी मिलर के पास नीलाम पत्र वाद से संबंधित बड़ी राशि बकाया है। इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ एसे बकायेदार मिलरों से राशि वसूली की कार्रवाई शुरू की जाय। जहाँ कानूनी अड़चन हो, उस मामले में संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी सरकारी वकील से विधिक परामर्श लेकर त्वरित एवं नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे।

3. उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा निम्नांकित कठिनाईयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गयाः-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई मामलों में Arbitration की कार्रवाई हुई है/प्रक्रियाधीन है। जिसके कारण PD Case की कार्रवाई स्थगित है।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्तर से कई रिट याचिका में No Coercive Action का आदेश पारित है। जिसके कारण केस की कार्रवाई रूकी हुई है।

(ग) उपरोक्त क एवं ख के संदर्भ में सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

ज्ञापांक–1390 दिनांक–28.03.2025

प्रतिलिपि– समाहर्त्ता एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज एवं सभी संबंधित जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी /जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

ज्ञापांक–03–05/2025 1390/रा0 सहरसा,दिनांक 28 मार्च,2025

प्रतिलिपि– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

28/3/25
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

O/c.